

20.03.2020

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/17/ 4618

दिनांक: 19-3-2020

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका, टोडारायसिंह एवं महवा में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगरपालिका का नाम
1.	श्री जावेद अहमद नकवी, एनरोलमेन्ट नं. आर/321/1990	नगरपालिका टोडारायसिंह
2.	श्री उमेश कुमार शर्मा, एनरोलमेन्ट नं. आर/379/1990	नगरपालिका महवा
3.	श्री गिरधर सिंह गुर्जर, एनरोलमेन्ट नं. आर/356/10535/1983	नगरपालिका महवा

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा एवं बायोडेटा, एनरोलमेन्ट नं. एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच कर कार्यभार ग्रहण करावें।

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 19-3-2020

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/17/4619-4632

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/अजमेर।
05. अध्यक्ष/अधिक्षापी अधिकारी, नगरपालिका, टोडारायसिंह एवं महवा।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, टोडारायसिंह, एवं महवा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी